न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–379/2023 निर्णय दिनांक :–08.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मुकेश रेसवाल पुत्र प्रभुलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज० –प्रार्थी–

ब्नाम

1. नारायण पुत्र गोरूराम जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज०
2. आशाराम पुत्र नारायण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज०
3. उप पंजीयक महोदय, देवली जिला टोंक
4. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज०
5. प्रभुलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज०
6. राजेन्द्र पुत्र नारायण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी तहसीला देवली जिला टोंक राज०
7. मीरा पुत्री नारायण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी हाल निवासी घाघोली तहसील देवली जिला टोंक राज०
8. रामप्यारी पुत्री नारायण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गांवड़ी हाल निवासी सतवाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज०
9. सुरेन्द्र बैरवा पुत्र पुखराज बैरवा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी देवर्ल तहसील देवली जिला टोंक राज०

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अपार्थी संख्या 1 व 2
श्री विरेन्द्र जैन ।।
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ता 8
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 9

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 596 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 598 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.24 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम रूपारेल पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोक राज० में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 304 रकबा 0.

1 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.46 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.87 है० वाके ग्राम सीतारामपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 108 खसरा नम्बर 402 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.69 है०, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.38 है० कुल किता–4, कुल रकबा 1.17 है० वाके ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 262 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.27 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.35 है० वाके ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है जिसमे प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 229 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 230 रकबा 1.12 है०, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.38 है०, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.95 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 3.77 है० वाके ग्राम सीतारामपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है जिसमे प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 106 खसरा नम्बर 593 रकबा 0.38 है०, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.04 है० कुल किता–2, कुल रकबा 0.42 है० वाके ग्राम रूपारेल पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० मे स्थित है जिसमे प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 185 खसरा नम्बर 340 रकबा 0.33 है० वाके ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० में स्थित है जिसमे प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 697/466 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम रूपारेल पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज० में स्थित है। प्रतिपक्षी संख्या 1. प्रार्थी का दादा है तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 6. प्रार्थी का काका है तथा प्रतिपक्षी संख्या 5, प्रार्थी के पिता तथा प्रतिपक्षीया संख्या 7 व 8. प्रार्थी की बुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पैत्रक है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे विरासत से आयी है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने कुछ वर्षों पूर्व प्रार्थी के पिता प्रभुलाल को घर से निकाल दिया था तब से ही प्रार्थी के पिता दिल्ली मे रहकर मेहनत मजदूरी करते है तथा प्रार्थी ऑटो चलाता है। प्रार्थी, प्रतिपक्षी नम्बर 1 का पोता है तथा दादा की सम्पत्ति मे पोते का भी हक व अधिकार होता है तथा प्रार्थी के भाई योगेश व बहन पूजा का भी अपने दादा प्रतिपक्षी संख्या 1 की सम्पत्ति में हक व अधिकार है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 वृद्ध व्यक्ति है जो प्रतिपक्षी संख्या 2 के बहकावे में आकर प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता प्रभुलाल को उक्त भूमि मे अपने हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से उक्त वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि को अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जबकि प्रार्थना

त्र में वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का भी हिस्सा बनता है। प्रतिपक्षी संख्या 2 आये दिन खरीददारो को भूमि पर लाकर दिखाता है तथा जमीन बेचने के लिये कहता है तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रतिपक्षी नम्बर 1 को बहला फुसलाकर तथा विश्वास मे लेकर उक्त हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने प्रतिप्रार्थी संख्या 2 के कहने पर पूर्व मे भी प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 9 में वर्णित आराजीयात को बेचान कर सम्पूर्ण विकय राशी प्राप्त कर ली तथा प्रार्थी के हिस्से की राशी को हड़प कर ली। प्रतिपक्षी संख्या 1 को उसके द्वारा किये जा रहे उक्त अवेध कृत्य से रोका जाना अति आवश्यक है जिसके लिये प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें तथा प्रतिपक्षी 3 व 4 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजी भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पांबद नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा और अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 5 ता 8 में वर्णित भूमि के सहखातेदारन के खिलाफ किसी तरह की रिलिफ नही चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल बाद पाबंद किया जावे कि वह स्वय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 ता 9 मे वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें तथा प्रतिपक्षी 3 व 4 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजी भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा **पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः**–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना स्वीकार है, शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रूपारेल मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम सीतारामपुरा मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम गांवड़ी मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम गांवड़ी मे होना स्वीकार है।

र्थना पत्र का चरण नम्बर 6 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम सीतारामपुरा में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रूपारेल मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम गांवडी मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रूपारेल मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 मे प्रतिपक्षी संख्या 1. प्रार्थी का दादा तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 6 प्रार्थी के काका तथा प्रतिप्रार्थी सं. 5. प्रार्थी के पिता तथा प्रतिपक्षीया संख्या 7 व 8. प्रार्थी की बुआ होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पैत्रक नहीं है तथा ना ही प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत से खातेदारी में आयी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम सीतारामपुरा में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रूपारेल मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम गांवडी मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रूपारेल मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 मे प्रतिपक्षी संख्या 1. प्रार्थी का दादा तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 6 प्रार्थी के काका तथा प्रतिप्रार्थी सं. 5. प्रार्थी के पिता तथा प्रतिपक्षीया संख्या 7 व 8. प्रार्थी की बुआ होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पैत्रक नहीं है तथा ना ही प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत से खातेदारी में आयी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 12 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी का प्रतिपक्षी नम्बर 1 की सम्पत्ति मे कोई हक व अधिकार नही बनता है क्योंकि प्रार्थी का पिता अभी तक जीवित है और उसके पिता के जीवनकाल में प्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकता तथा ना ही प्रार्थी, प्रतिपक्षी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का पिता अपनी मर्जी से काफी वर्षा से दिल्ली में रहता है तथा प्रार्थी भी प्रतिपक्षी संख्या 1 से अलग रहता है। प्रार्थी एवं उसके पिता ने कभी भी प्रतिपक्षी सं. 1 की सेवा सुश्रुषा नही की, ना ही बीमारी मे देखभाल की तथा ना ही भरण पोषण कर रहे है। इस कारण प्रतिपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि मे प्रार्थी का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 13 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी स्वंय की मर्जी से अपनी जमीन की देखभाल, खरीद, बेचान स्वंय करता है। प्रतिपक्षी नम्बर 2 के बहकावे में आकर कोई कार्य नहीं करता है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपनी स्वंय की स्वअर्जित सम्पत्ति खसरा नम्बर 697/466 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम रूपारेल का बेचान प्रार्थना पत्रव

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही जरिये रजि० विकय पत्र दिनांक 06.10.2023 को सुरेन्द्र बैरवा पुत्र पुखराज बैरवा निवासी देवली को कर दिया था जिसका नामांतकरण भी राजस्व रिकार्ड मे प्रकियाधीन है। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2036 से 2039 की जमाबंदी में प्रतिपक्षी संख्या 1 के भाई श्रीकिशना पुत्र गोरू की खातेदारी मे थी जिसके साबिक खसरा नम्बर 337/1 रकबा 10 बीघा था जो श्रीकिशना को अलॉटमेंट हुई थी। सेटलमेंट के दौरान श्री किशना ने अपनी उक्त जमीन जिसमे सभी भाईयो का शामलाती कब्जा था, को सहमति से अपने चारो भाईयो के नाम खातेदारी लगवायी थी जो सेटलमेंट के उपरान्त सम्वत 2046 से 2049 की जमाबंदी मे प्रतिपक्षी संख्या 1 एवं उसके भाई देवाराम, श्रीकिशन व हरनाथ के नाम खातेदारी में अंकित की गई जिसके नये खसरा नम्बर 880 रकबा 1.61 है० बनाये गये। उसके पश्चात ग्राम गांवड़ी से रूपारेल अलग से राजस्व ग्राम बन जाने से उक्त आराजी के ग्राम रूपारेल के खसरा नम्बर 466 बनाये गये। उसके पश्चात चारो भाईयो ने उक्त आराजी का बंटवारा किया जिसमे से उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर के 697/466 रकबा 0.39 है० बनाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 की खातेदारी मे अंकित की गई। इस प्रकार उक्त आराजी प्रतिपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, ना कि पैत्रक भूमि है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय को गुमराह कर इस भूमि को पैत्रक भूमि बताकर प्रतिपक्षी संख्या 1 को सम्पूर्ण आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया गया है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 14 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी का पिता अपनी मर्जी से काफी वर्षा से दिल्ली में रहता है तथा प्रार्थी भी प्रतिपक्षी संख्या 1 से अलग रहता है। प्रार्थी एवं उसके पिता ने कभी भी प्रतिपक्षी संख्या 1 की सेवा सुश्रुष नही की, ना ही बीमारी मे देखभाल की तथा ना ही भरण पोषण कर रहे है। इस कारण प्रार्थी, प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा स पाबंद कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पैत्रक नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है।प्रार्थना पत्र मे चाही गयी प्रार्थना गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्रव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही प्रतिपक्षी संख्या 1 को पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र जैन ।। ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:—प्रार्थना पत्र पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 10

है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पैत्रक है। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का ग अधिकार बनता है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 स्वीकार है। प्रतिपक्षी या 1 ने कुछ वर्षों पूर्व प्रार्थी के पिता प्रतिप्रार्थी संख्या 5 प्रभुलाल को घर से काल दिया था तब से ही प्रार्थी के पिता प्रभुलाल दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करते है तथा प्रार्थी ऑटो चलाता है। प्रतिप्रार्थी संख्या 5. प्रतिप्रार्थी संख्या 1 की सेवा सुश्रुषा करना चाहता है लेकिन प्रतिप्रार्थी संख्या 1, प्रतिप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आने के कारण प्रतिप्रार्थी संख्या 5 की किसी भी बात को मानने के लिये तैयार नही है और ना ही अपना पुत्र मानते है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 12 स्वीकार है। प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 का पोता है तथा दादा की सम्पत्ति मे पोते का भी हक व अधिकार होता है तथा प्रार्थी के भाई योगेश व बहन पूजा का भी अपने दादा प्रतिप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति मे हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 13 स्वीकार है। प्रतिप्रार्थी सं० 2 द्वारा प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 को बहला फुसलाकर तथा विश्वास मे लेकर उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिप्रार्थी संख्या 1 ने प्रतिप्रार्थी संख्या 2 के कहने पर पूर्व मे भी प्रार्थना पत्रपत्र के चरण 3 नम्बर 8 मे वर्णित आराजीयात को बेचान कर सम्पूर्ण विकय राशी प्राप्त कर ली तथा प्रार्थी के हिस्से की राशी को हड़प कर ली। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 13 स्वीकार है। प्रार्थना पत्रपत्र का चरण नम्बर 14, स्वीकार है। प्रतिपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने मे हम प्रतिपक्षीगण को कोई आपति नहीं है। प्रा. पत्र का चरण नं. 15 कानूनी है, जवाब की आवश्कयता नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने मे हम प्रतिपक्षीगण को कोई आपति नहीं है।

प्रतिपक्षी संख्या 9 की ओर से जवाब अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:—प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजीयात ग्राम सीतारामपुरा मे होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 मे प्रतिपक्षी संख्या 1. प्रार्थी का दादा तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 6 प्रार्थी के काका तथा प्रतिप्रार्थी सं. 5, प्रार्थी के पिता तथा प्रतिपक्षीया संख्या 7 व 8. प्रार्थी की बुआ होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पैत्रक नही है तथा ना ही प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत से खातेदारी में आयी है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 12 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 13 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपनी स्वंय की स्वअर्जित सम्पत्ति खसरा नम्बर 697/466 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रुपारेल का बेचान प्रार्थना पत्रव प्रार्थना पत्र

करने से पूर्व ही नियमानुसार जरिये रजि० विकय पत्र दिनांक 06.10.2023 ।तिपक्षी सुरेन्द्र बैरवा पुत्र पुखराज बैरवा निवासी देवली को कर दिया था जिसका ।तिकरण भी राजस्व रिकार्ड मे प्रकियाधीन है। प्रतिपक्षी संख्या 9 का उक्त दिनांक । ही कयशुदा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी कब्जा है। प्रार्थी ने उक्त विकय पत्र को किसी भी न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 14 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र मे चाही गयी प्रार्थना गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दादा है और अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से उसके नाम खातेदारी की जमीन को बेचान कराने पर आमादा है। कुछ जमीन प्रतिपक्षी संख्या 9 को बेचान कर दी। उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थी के हिस्से की हद तक की जमीन का बेचान नहीं करने बाबत पाबन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति है। प्रार्थी को विकय पत्र को चेलेन्ज करना चाहिए था। साबिक ख. नं. 337 श्री किशन पि. गोरू को आवंटन हुई थी जिससे यह जमीन हमने खरीदी थी। साबिक ख. नं. 337 से नये ख. नं. 497/460 बने है। अगर पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति हमें होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय करने के लिए मुख्य तीन बिन्दूओं का विवेचन आवश्यक है, जो इस प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया मामलाः– पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम रूपारेल की जमाबन्दी संवत 2074–77 में वाद वर्णित आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी की प्रार्थना है कि विवादित आराजी पुश्तैनी है जो वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसको प्रार्थी पुश्तैनी सम्पति बताकर अप्रार्थी संख्या को विवादित जमीन की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करवाना चाहता है।अप्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यो से यह साबित नहीं किया है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति है।

अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब व बहस अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम न तो विरासत से आयी है और ना ही पैतृक है। अप्रार्थी संख्या

ने यह भी नहीं बताया है कि विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार उसको किस तरह प्राप्त हुए है।

उक्त प्रश्न बिन्दू वाद में साक्ष्य सबूतो के माध्यम से तय हो पायेंगे। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बहुलता न बढे। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना बेहतर विकल्प प्रतीत होता है, जिससे प्रार्थी का हक व अधिकार भी सुरक्षित रहेगे। अतः उक्त समस्त तथ्यो का विवेचन करने पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। है।

सुविधा **का** सन्तुलन एवं अपूरणीय **क्षति का** बिन्दू:— प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।

आदेश

उक्तानुसार बिन्दूवार विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12.12.2023 को ताफैसला मूलवाद सुनिश्चित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली